



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR

(An Institute of National Importance)

Under Ministry of Education, Govt. of India

G.E.Road, Raipur-492010 (C.G.)



क्रमांक/रा.प्रौ.सं.रा.रा./स्था./2026/37-03

रायपुर, दिनांक 04-06-2026

सूचना

इस संस्थान के समस्त नियमित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए शिशु शिक्षा भत्ता हेतु आवेदन 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से निम्नांकित निर्देशों का पालन करते हुए प्रस्तुत करें :

- 1- शिशु शिक्षा भत्ता हेतु शिशु के अध्ययनरत स्कूल/संस्था से निर्धारित प्रपत्र- B में प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करें ।
- 2- यदि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो रिपोर्टकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति शिशु शिक्षा भत्ता का दावा करने के लिए संदर्भित दस्तावेज के साथ में प्रस्तुत की जा सकती है।
- 3- शिशु शिक्षा भत्ता प्रथम दो संतानों के लिए स्वीकार्य है। (द्वितीय संतान जुड़वा होने पर तीन संतानों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।
- 4- शिशु शिक्षा भत्ता हेतु आवेदन संदर्भित दस्तावेज सहित निर्धारित समय सीमा में आवक/जावक शाखा में जमा करावें ।
- 5- शिशु शिक्षा भत्ता कक्षा - एक से पहले कोई भी तीन कक्षा (जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG-I, KG-II, PF-I, PP-II आदि) कक्षा के नाम को ध्यान न देते हुए प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 6- दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष अथवा 12वीं श्रेणी उत्तीर्ण करने का समय, जो भी पहले हो, तक रहेगी। कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।
- 7- सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति साधारण दरों से दोगुनी दर से की जायेगी।
- 8- अशक्तता का अर्थ है, किसी व्यक्ति में, कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई. दिनांक 01.06.2001 (अनुबंध) में यथा परिभाषित अक्षमता की न्यूनतम प्रतिशतता 40 हो।

संयुक्त कुलसचिव

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि : 1- निदेशक, रा.प्रौ.सं. रायपुर (छ.ग.)

2- कुलसचिव, रा.प्रौ.सं. रायपुर (छ.ग.)

3- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर को सूचनार्थ एवं अधिनस्थ कर्मचारियों को सूचित कियो जाने हेतु।

4- समस्त नोटिस बोर्ड।

5- वेब मास्टर, सूचना एवं प्रसारण हेतु।



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR

(An Institute of National Importance)

Under Ministry of Education, Govt. of India

G.E.Road, Raipur-492010 (C.G.)



No./NITRR/Estt./2026/-37-03

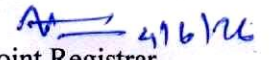
Raipur, Date 04-06-2026

Notice

All regular academic and non-academic officers and employees of this institute are informed that they must submit their applications for Child Education Allowance for the academic year 2025-26 (April 1, 2025, to March 31, 2026) by June 30, 2026, strictly following the following instructions:

- 1- Submit the application for Child Education Allowance along with a certificate in the prescribed Form B from the school/institution where the child is studying.
- 2- If such a certificate cannot be submitted, a self-attested copy of the report card may be submitted along with the relevant documents to claim the Child Education Allowance.
- 3- Child Education Allowance is admissible for the first two children. (If the second child is a twin, reimbursement for three children will be admissible.
- 4- Applications for Child Education Allowance should be submitted to the Incoming/Outgoing branch within the prescribed time limit along with the relevant documents.
- 5- Any three classes (e.g. Play Group, Nursery, KG-1, KG-II, PP-1, PP-II, etc.) prior to Class 1 can apply for reimbursement, irrespective of the class name.
- 6- The upper age limit for children with disabilities has been fixed at 22 years. In the case of other children, the age limit will be 20 years or the age of passing 12th class, whichever is earlier. There will be no minimum age.
- 7- Children Education Allowance for children with disabilities of Government employees will be reimbursed at double the normal rates.
- 8- Disability means a person having a disability as per Ministry of Social Justice Notification No. 16-18/97-NI

The minimum percentage of disability should be 40 as defined in the Notification No. 16-18/97-NI dated 01.06.2001 (Annexure).


Joint Registrar

National Institute of Technology
Raipur (CG)

- Copy to: 1- Director, NIT Raipur (CG)
2- Registrar, NIT Raipur (CG)
3- All Deans/Heads of Departments/Branch Incharges, NIT Raipur
for information and to inform subordinate staff.
4- All notice boards.
5- Web Master, for information and dissemination.